संख्या- 2/2026/भास14/29-7-2026

प्रेषक,

एस०पी०गोयल ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी ,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-7 **लखनऊ: दिनांक 12 मार्च , 2026**

विषयः- प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों यथा पेट्रोल, डीजल एवं एल०पी०जी०आदि की सुचारू आपूर्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में सुचारू रूप से पेट्रोल, डीजल एवं एल०पी०जी०आदि की आपूर्ति हेतु सचिव,गृह मंत्रालय,भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 11 मार्च, 2026 को संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक संपन्न हुई।

2. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त बैठक में पेट्रोलियम पदार्थों यथा पेट्रोल, डीजल एवं एल०पी०जी०की सुचारू आपूर्ति के सम्बन्ध में कतिपय निर्देश दिए गए हैं।

3. उक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है :-

1) जनमानस को आश्वस्त किया जाए कि पेट्रोल, डीजल की उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई समस्या नहीं है।

2) जनमानस को अवगत कराया जाए कि एल०पी०जी० के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अस्थायी रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है तथा इसके अतिरिक्त पारदर्शी वितरण हेतु ओ०टी०पी० के माध्यम से रिफिल डिलीवरी की व्यवस्था की जा रही है।

3) भ्रम फैलाने वाले चैनलों/सोशल मीडिया प्लेटफार्म के मैसेजेज तथा वीडियो आदि पर कड़ी नजर रखी जाए।

4) यह सुनिश्चित किया जाए कि गैस सिलेण्डर के वितरण की व्यवस्था के क्रम में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो।

5) गैस सिलेण्डर ले जाने वाले वाहनों को जनपदों में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6) गैस एजेन्सियों से किसी भी प्रकार की कालाबाजारी/अवैध बिक्री को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएँ एवं गैस एजेन्सियों पर सामान्य वितरण हेतु सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्राहकों को नियमानुसार गैस सिलेण्डर उपलब्ध हो सके।

7) राजस्व विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग तथा तेल कम्पनियों के नोडल अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन व पुलिस के अधिकारी भ्रमणशील रहें।

8) जनपदों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाए।

9) गैस वितरण से सम्बन्धित किसी भी कानून व्यवस्था से सम्बन्धित सूचना तत्काल होम कन्ट्रोल को दी जाए।

4. उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस०पी०गोयल)
मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिदेशक , उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त ,उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त ,खाद्य एवं रसद ।
4. समस्त पुलिस आयुक्त/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ समस्त पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
5. राज्य स्तरीय समन्वयक , भारतीय तेल उद्योग , उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणवीर प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in